झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
षोडश (मानसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 23.07.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्रीमती सीमा देवी स0वि0स0	राँची जिलान्तर्गत सिल्ली प्रखण्ड के बिरहोर टोली एवं खेरबेड़ा के बीच प्रस्तावित राढ़ु नदी बहुउद्देशीय परियोज़ना वर्ष 2015 में ही प्रस्तावित है परन्तु अब तक यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है। इस परियोजना के निर्माण से क्षेत्र में 8900 हेक्टेयर खरीफ सिंचाई तथा 5200 हेक्टेयर रबी सिंचाई होगी। इतनी भूमि की सिंचाई से किसानों को बहुत ही लाभ होगा। इतना ही नहीं इस योजना के कार्यान्वयन से विद्युत उत्पादन भी होगा जिससे बिजली की आत्मनिर्भरता में राज्य एक कदम आगे बढ़ सकेगा। अतः उक्त बहुउद्देशीय परियोजना के कार्य का प्रारंभ शीघ्र करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहती हूँ।	जल संसाधन
02-	श्री शिवशंकर उराँव स0वि0स0	झारखण्ड का पुराना राँची जिला (गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूँटी एवं राँची) एवं लातेहार जिला में निवास करने वाली लोहार-लोहरा, बड़ाईक-चीक बड़ाईक, एवं मुण्डा-भुंईहर मुण्डा अनुसूचित जनजाति समुदायों की अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने सम्बंधी-	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

01.	02.	03.	04.
		समस्या विगत अविभाजित बिहार काल से लम्बित चली आ रही है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये समुदाय हर दृष्टिकोण से अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अन्तर्गत हैं। परन्तु भू-सर्वे खतियान में लिपिकीय गलती के कारण क्रमशः **1- लोहरा समुदाय के कतिपय खतियानों में मात्र लोहार लिख दिया गया है। अर्थात मात्र शब्द में एक दीघ अकार छूट जाने से यह समुदाय अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक लाभ से वंचित हो गया है। 2- चींक बड़ाईक समुदाय के लोगों के खतियान में चींक बड़ाईक की जगह मात्र बड़ाईक दर्ज हो जाने के कारण अनुसूचित जनजाति समुदाय के रूप में हरेक प्रकार के लाभ से वंचित है। 3- मुण्डा के खतियान में भुंइहर मुण्डा दर्ज हो जाने से उसे भूमिहार मुण्डा समझ लिया गया है और उन्हें अनुसूचित जनजाति समुदाय की श्रेणी से बाहर मान लिया गया है।** परिणामस्वरूप इन्हें अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है। इससे इन तीनों ही जनजाति समुदायों के हजारों परिवारों को संवैधानिक आरक्षण व अन्य लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि इस सम्बंध में वर्त्तमान सरकार द्वारा इन समुदायों के संगठन, प्रतिनिधियों के साथ कई दौर का गंभीर विचार-मंथन भी हो चुका है। यही नहीं राज्य के जनजाति परामर्शदातृ परिषद् ने भी इन समुदायों के सम्बंध में स्पष्ट प्रस्ताव पारित किया है कि ऐसी क्लारिकल (लिपिकीय) त्रुटियों को दूर करते हुए सरकार इन समुदायों के लोगों को जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करे। लेकिन अब तक कोई प्रशासकीय कार्रवाई नहीं हो पायी है। अतएव मैं इस सदन में ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि समेकित रूप से त्वरित कदम उठाते हुए इन समुदायों की लम्बे समय से लम्बित चली आ रही जनजाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने/प्राप्त करने की समस्या का स्थायी निदान किया जाए।	

01.	02.	03.	04.
03-	श्री राधाकृष्ण किशोर स0वि0स0	पलामू जिला अन्तर्गत नौडीहा बाजार एवं छत्तरपुर प्रखण्ड में पारा शिक्षकों की अवैध नियुक्ति मामले में तीसरी बार जाँच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इसके पूर्व भी राज्य शिक्षा परियोजना परिषद् के आदेश पर वर्ष 2012 में उक्त दोनों प्रखंडों के अवैध पारा शिक्षकों की जाँच करायी गई थी। जाँच प्रतिवेदन की संपुष्टि तत्कालिन जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू से कराया गया। संपुष्टि के पश्चात् राज्य शिक्षा परियोजना की जाँच तथा संपुष्टि प्रतिवेदन में काफी विरोधाभास पाया गया। परिणामस्वरूप 2018-19 में अवैध पारा शिक्षकों की नियुक्ति की जाँच के लिए तीसरी बार 3 सदस्यीय कमिटि का गठन किया गया। 3 सदस्यीय जाँच समिति के द्वारा पारा शिक्षको से प्रखंड शिक्षा समिति के द्वारा चयन संबंधी दस्तावेज की माँग की गई। नौडीहा बाजार एवं छत्तरपुर प्रखंड के कुल 769 पारा शिक्षको मे से 436 पारा शिक्षकों के द्वारा प्रखंड शिक्षा समिति से अनुमोदन संबंधी दस्तावेज नहीं दिखाए जाने के कारण जाँच समिति के द्वारा 436 पारा शिक्षको के चयन को अवैध बताया गया है। स्पष्ट है कि पारा शिक्षकों के नियुक्ति से संबंधित सभी दस्तावेज प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में रहता है। नियुक्ति संबंधी दस्तावेज की मांग पारा शिक्षको से किया जाना तथा उस आधार पर पारा शिक्षको की नियुक्ति को अवैध करार दिये जाने तथा कार्यरत पारा शिक्षको के मानदेय के भुगतान पर रोक लगा दिए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः मैं वैध/अवैध पारा शिक्षकों के नियमानुकूल जाँच कराने तथा जाँच पूर्ण होने तक लंबित मानदेय के भुगतान हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
04-	श्री नागेन्द्र महतो स0वि0स0 श्री भानु प्रताप शाही स0वि0स0 डॉ0 जीतू चरण राम स0वि0स0	झारखण्ड प्रदेश में पारा शिक्षक, बी0टी0टी0, बी0आर0पी0, सी0आर0पी0, पारा पुलीस सहीया आंगनबाड़ी सेविका, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं स्वयं सेवक जैसे पदों पर लाखो युवक एवं युवतियाँ गुणवतापूर्ण शिक्षा पाकर सरकार के विकास में अपने कार्यो के द्वारा हाथ बटा रहे है जिससे झारखण्ड सरकार के शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, गृह एवं ग्रामीण विकास विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग को अपने लक्ष्य प्राप्ति कर देश में स्थान प्राप्त किए है। झारखण्ड राज्य के शिक्षा विभाग में झारखण्ड राज्य में विगत 14 वर्षो से बी0आर0पी0 सी0आर0पी0 अपनी-	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी

		सेवा झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् राँची को उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची के निर्णय कि 10 वर्षो से संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित की जाये, के आलोक में बी0आर0पी सी0आर0पी0 की सेवा नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। परन्तु दुख इस बात की है कि पारा शिक्षक बी0टी0टी0, बी0आर0पी0, सी0आर0पी0, पारा पुलीस सहिया आंगनबाड़ी सेविका कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं स्वयं सेवक शिक्षित युवक-युवतियों को सरकार इनसे सरकारी कर्मचारी/पदाधिकारी के तरह कार्य ले रही है फिर भी इनके भविष्य की समस्या के समाधान के लिए स्थायी नियोजन नहीं कर रही है, जिससे इनका जीवन अंधकार में है। अतः Outsourcing से नियुक्ति तत्काल स्थगित करते हुए उक्त सभी लाखों अनुबंध कर्मियों को एक समान नियमावली बनाकर समान काम के बदले समान वेतन एवं स्थायी नियोजन कर स्थायी वेतनमान लागू कराने का सरकार का ध्यानाकृष्ट सदन के माध्यम से करते है।	
05-	डॉ0 इरफान अंसारी स0वि0स0 श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी स0वि0स0 श्रीमती निर्मला देवी स0वि0स0	पूरे झारखण्ड राज्य में सुखे की हालत है। बारिश नहीं हो रही है। जुलाई माह के तीन सप्ताह गुजर गये पर कई जिलों में बारिश नहीं हो रही है खास कर हमारे जामताड़ा जिला में औसतन 17 प्रतिशत ही बारिश हुई है, जिसके कारण रोपा कार्य प्रभावित हो रहा है। इस बार मानसून के कमजोर रहने के कारण पूरे प्रदेश में औसत से काफी कम बारिश में भयावह सुखाड़ की स्थिति पैदा कर दी है। हर जगह खेतों में दरार पड़ गई है और बिचड़ा भी सूख रही है। राज्य की कई सिंचाई परियोजनाऐं भी वर्षो से अधूरी है, जिससे खेतो को पानी नहीं मिल रहा है, जिससे किसान भूखमरी के कगार पर आ गये है।	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता

		कृषि विभाग ने किसी प्रकार का वैकल्पिक कृषि योजना तैयार नहीं की है और ना ही किसानों को राहत के लिए कोई कदम उठाया गया है। सरकार की प्राथमिकता में कृषि नहीं होना दुखद है। अतः राज्य के किसानों की इस अति महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहते हैं।	

रॉंची,
दिनांक- 23 जुलाई, 2019 ई0।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-11/2019-1644/वि0 स0, रॉंची, दिनांक-22/07/19

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रॉंची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय रॉंची/जल संसाधन विभाग/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग एवं कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/7/19

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-11/2019-1644/वि0 स0, रॉंची, दिनांक-22/07/19

प्रतिः- संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

22/7/19

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

सुभाष/-

22.07.19